संख्या-178/2024/541/35-4-2024/35-4099/18/2024

प्रेषक.

अरुणेश कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ।

नियोजन अनुभाग-4

लखनऊ; दिनांक: 01 मई,2024

विषय:- जनपद- सुल्तानपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद सुल्तानपुर में शासनादेश संख्या- 520/2023/1207/35-4-2023, दिनांक 29-03-2023 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित प्रश्नगत 01 कार्य (उक्त शासनादेश के क्रमांक-7 पर अंकित) हेतु रू० 63.10 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू० 31.55 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र सं0-97/त्व0आ0वि0यो0/2023-24 दिनांक 01-02-2024 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 29-03-2023 से स्वीकृत प्रश्नगत 01 कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग विवरण प्रस्तुत करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 31.55 लाख (रूपये इक्तीस लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रूपए लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
वि0ख0-दूबेपुर के ग्राम-गौहानी से रज्जू धोबी के घर से लहूरी के घर मिश्राने तक लेपन कार्य।	63.10	31.55	31.55

- 1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29-03-2023 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
- 2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमित से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
- 3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- 4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
- 5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- 6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
- 7- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च 2024 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2. इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रू० 31.55 लाख (रूपये इक्तीस लाख पचपन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 040 लेखाशीर्ष 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04- जिला तथा अन्य सड़कें, 337- सड़क निर्माण कार्य, 01- त्वरित आर्थिक विकास योजना, 0303- ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था, 24- वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।
- 3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय, अरुणेश कुमार द्विवेदी संयुक्त सचिव ।

संख्या-178/2024/541(1)/35-4-2024/35-4099/18/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
- 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
- ४- अपर मुख्य सचिव, वित्तं एवं वित्तं आयुक्त उ०प्र०शासन।
- 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० ।
- 6- निजी संचिव, मा० मुख्यमंत्री जी ।
- ७- मण्डलायुक्तं, अयोध्या मण्डल।
- 8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ॰प्र॰।
- 9- मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर ।
- 10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी सुल्तानपुर ।
- 11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग ।
- १२-वित्तं व्ययं नियंत्रण अनुभाग-५ ।
- 13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सुल्तानपुर ।
- 14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/ लोक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर ।
- १५- गार्ड फाईल।

आज्ञा से, अरुणेश कुमार द्विवेदी संयुक्त सचिव ।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।